



कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/सीएसआर/61010/विधि/2019-20/26

दिनांक - 17/09/2020

संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा,
समस्त मण्डल।

विषय :- राजकीय विद्यालयों के कक्षा 10 व 12 के मेधावी छात्रों को भामाशाह/सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से सहयोग/गोद दिलवाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2019-20 में राजकीय विद्यालयों के कक्षा 10 व 12 उत्तीर्ण विद्यार्थियों में से आर्थिक रूप से पिछड़े मेधावी विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार आगामी अध्ययन में सहयोग करने के उद्देश्य से "Adopt A Student" का प्रारम्भ पायलट प्रोजेक्ट रूप किया जाना है। इस योजनान्तर्गत राज्य के राजकीय विद्यालयों से सत्र 2019-20 में कक्षा 10 व 12 के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को भामाशाह/दानदाता/सीएसआर कम्पनियों से जोड़ा जाना है। अतः :-

01. विद्यार्थी द्वारा राजकीय विद्यालय से सत्र 2019-20 में कक्षा 10 व 12 उत्तीर्ण की हो।
02. ऐसे विद्यार्थी जिनके अभिभावक आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो एवं सत्र 2019-20 में कक्षा 10 व 12 कम से कम 80 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त किए हो।

उपरोक्त शर्तों के आधार पर चयनित विद्यार्थी की सूचना "प्रपत्र-अ" में संबंधित संस्था प्रधान से भरवाकर प्रमाणित प्रति आप द्वारा संकलित की जानी है। तदोपरान्त उक्त प्रपत्र-अ की सूचना को संलग्न प्रपत्र-ब में संकलित करते हुए एक्सल शीट में तैयार कर प्रमाणित प्रति कार्यालय को 10 दिवस में उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही प्रपत्र-ब की सॉफ्ट कॉपी कार्यालय की Email ID : off.csr.dse@rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(सौरभ स्वामी)

IAS

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

MERITORIOUS AND NEEDY STUDENTS INFO SESSION- 2019-20

NAME:- FATHER NAME:- MOTHER NAME:- CONTACT NO.:- ADDRESS:- SCHOOL NAME:-	COLOUR PASSPORT SIZE PHOTO CLASS:- DOB:- PERCENTAGE:-
DESCRIBE STUDENT'S FUTURE AIM	
FAMILY BACKGROUND DESCRIPTION	

NOTE :- Kindly send the required information of class 10th and 12th students. Description should be in 50 to 100 words and principal must verify student details with seal and signature.

